HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc. Suspension of Sentence Application No. 1947/2026
In
S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 2082/2026
CNR: RJHC020866942026 | URN: CRLAS / 3618U / 2026

1. Sahib S/o Mohammad Rafi, Resident Of Milakpur, Police Station Sadar, District Alwar, Rajasthan.
2. Mohammad Rafi S/o Amru, Resident Of Milakpur, Police Station Sadar, District Alwar, Rajasthan.

----Appellants

Versus

State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor

----Respondent

For Appellant(s)	:	Mr. Manish Gupta, Adv. with Ms. Shweta Soni, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Vivek Chaudhary, PP

HON'BLE MR. JUSTICE BHUWAN GOYAL

Order

09/09/2026

1. प्रार्थीगण–अभियुक्तगण **1. साहिब पुत्र मौहम्मद रफी, 2. मौहम्मद रफी पुत्र अमरू** की ओर से धारा 430 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत, विद्वान विचारण न्यायालय– **न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश सं. 5, अलवर (राज.)** के द्वारा सेशन प्रकरण संख्या– 44/2026 उनवान **राजस्थान राज्य बनाम साहिब वगै.** में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक **11.08.2026** जिसके द्वारा प्रार्थीगण–अभियुक्तगण को अपराध अन्तर्गत धारा **326, 307 भा.दं.सं** में दोषमुक्त किया गया एवं अपराध अंतर्गत धारा **341, 323, 325, 427, 451 सपठित धारा 34 भा.दं.सं** में दोषसिद्ध कर निम्न दंडादेश पारित किया है, के विरूद्ध यह सजा स्थगन/जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है:–

अन्तर्गत धारा	सजा	अर्थदण्ड	अदम अदायगी अर्थदण्ड
341/34	01 माह का	500/– रुपये	05 दिन

भा.दं.सं.	**साधारण कारावास**		
323/34 भा.दं.सं.	**01 वर्ष का साधारण कारावास**	**1,000/– रुपये**	**01 माह**
325/34 भा.दं.सं.	**03 वर्ष का साधारण कारावास**	**5,000/– रुपये**	**03 माह**
427/34 भा.दं.सं.	**02 वर्ष का साधारण कारावास**	**2,000/– रुपये**	**03 माह**
451/34 भा.दं.सं.	**02 वर्ष का साधारण कारावास**	**2,000/– रुपये**	**03 माह**

2. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण–अभियुक्तगण की ओर से नियम 311 (3) राजस्थान उच्च न्यायालय नियमावली 1952 का प्रमाण पत्र पत्रावली में संलग्न किया गया है।

3. बहस सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण–अभियुक्तगण का दौराने बहस कथन है कि प्रस्तुत मामले में प्रार्थीगण–अभियुक्तगण निर्दोष हैं एवं उन्हें इस प्रकरण में झूंठा फंसाया गया है, उनका यह भी कथन है कि पत्रावली पर उन्हें दोषसिद्ध करने हेतु पर्याप्त सामग्री/साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है एवं विद्वान विचारण न्यायालय ने उसके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य का गहनतापूर्वक विवेचन किए बिना ही उक्त आलौच्य आदेश दिनांक **11.08.2026** पारित किया है, जो कि विधिसम्मत नहीं है। उनका यह भी कथन है कि प्रकरण में प्रस्तुत गवाहान के कथनों में गंभीर विरोधाभास है एवं मजरूबान के चोट प्रतिवेदन भी घटना के लगभग 7 दिन बाद तैयार किए जाने से विश्वसनीय नहीं हैं, उनका यह भी कथन है कि प्रार्थीगण–अभियुक्तगण विचारण के दौरान जमानत पर आजाद थे एवं विचारण न्यायालय द्वारा उनकी सजा एक माह के लिए अस्थायी तौर पर स्थगित की हुई है, उनके विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि की साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है, प्रस्तुत अपील के निस्तारण में समय लगेगा, अतः न्यायहित में उनका सजा स्थगन/जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए उन्हें रिहा किया जावे।

5. विद्वान लोक अभियोजक ने सजा स्थगन/जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए प्रार्थीगण–अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत सजा स्थगन/जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

6. हमने पत्रावली का मय रिकॉर्ड सम्मानपूर्वक अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के तर्कों पर गंभीरतापूर्वक मनन किया।

7. हस्तगत प्रकरण में उपलब्ध तथ्यात्मक स्थिति तथा बहस के दौरान प्रस्तुत तर्कों से यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत अपील के निर्णयार्थ महत्वपूर्ण तथ्य एवं विधि का प्रश्न अन्तर्वलित है, अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रार्थीगण–अभियुक्तगण की अभिरक्षा अवधि, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण–अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत तर्कों तथा अपील में उठाये गये कानूनी मुद्दों एवं अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थीगण–अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

8. परिणामतः प्रार्थीगण–अभियुक्तगण **1. साहिब पुत्र मौहम्मद रफी, 2. मौहम्मद रफी पुत्र अमरू** की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थी–अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद **50,000/–रूपए (अक्षरे पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं **25,000–25,000/–रूपए (अक्षरे पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये)** की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दें कि वह इस न्यायालय में दिनांक **09.10.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उसे आदेशित किया जावे, उपस्थित होता रहेगा, तो विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए **''दण्डादेश''** (sentence) की क्रियान्विती को इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जावे एवं प्रार्थीगण–अभियुक्तगण को इस प्रकरण में अविलम्ब जमानत पर निम्न शर्तों के अधीन रिहा कर दिया जाए।

1– कि प्रार्थीगण–अभियुक्तगण प्रत्येक माह की **पहली तारीख (अवकाश होने पर अगले दिन)** पर संबंधित अधीनस्थ न्यायालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करायेंगे।

2– कि प्रार्थीगण–अभियुक्तगण के पुनः इस प्रकार के अपराध में लिप्त पाये जाने की स्थिति में संबंधित पुलिस थाने द्वारा इसकी सूचना अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जाएगी।

3– कि प्रार्थीगण–अभियुक्तगण के पुनः इस प्रकार के अपराध में लिप्त पाये जाने पर अभियोजन पक्ष यह जमानत आदेश निरस्त कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने को स्वतंत्र रहेगा।

4– कि यदि प्रार्थीगण–अभियुक्तगण अपील के विचारण के दौरान अपना स्थायी निवास का पता बदलते हैं तो वे इस संबंध में लिखित में सूचना विद्वान अधीनस्थ न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में अपने अधिवक्ता को जो कि उसके मामले में पैरवी कर रहे हैं को अविलम्ब देंगे।

9. आदेश की एक प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जावे कि वह प्रार्थीगण–अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत जमानत मुचलके इस न्यायालय को अविलंब प्रेषित करे।

(BHUWAN GOYAL),J

MOHIT/ 47